मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2016 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 (अग्रहायण 15, 1938)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2016 (क्रमांक 3 सन् 2016) पटल पर रखेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्न अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक 1439-मप्रविनिआ-2016, दिनांक 02.09.2016,

(ख) क्रमांक 1450-मप्रविनिआ-2016, दिनांक 03.09.2016, (शुद्धि पत्र),

(ग) क्रमांक 1490/मप्रविनिआ/2016, दिनांक 14.09.2016,

(घ) क्रमांक 1578/मप्रविनिआ/2016, दिनांक 29.09.2016, तथा

(ङ) क्रमांक 1616/मप्रविनिआ/2016, दिनांक 05.10.2016

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री –

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल) की 53 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2014-2015,

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार –

(i) मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015, तथा

(ii) मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री, मोटरयान कराधान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 212 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-54-2002-आठ, दिनांक 01 जुलाई, 2016 पटल पर रखेंगे.

4. जुलाई-अगस्त, 2016 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267 - क के अधीन जुलाई-अगस्त, 2016 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले में धान एवं गेहूँ खरीदी केन्द्र बंद किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधान सभा क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 89-बांधवगढ़ (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री ज्ञान सिंह द्वारा विधान सभा में अपने स्थान का त्याग करने की सूचना.

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति, याचिका समिति का अड़तीसवां, उनतालीसवां, चालीसवां तथा इकतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

10. सभापति तालिका की घोषणा.

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम शाहगढ़ में तालाब का निर्माण कराये जाने,
(2) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम ललपा गुढ़ में पक्की सड़क निर्माण किये जाने,
(3) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के –
(क) संजय ड्राईव मार्ग से प्राचीन बाघराज मंदिर तक सीमेन्ट कांक्रीट रोड निर्माण कराये जाने, तथा
(ख) स्टेट बैंक कालोनी एवं गुलाब कालोनी में नाली एवं नाला निर्माण किये जाने,
(4) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले की -
(क) अहेली नदी पर नवीन पुलिया का निर्माण कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम मानपुर के उप स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन किये जाने,
(5) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम देवरी में शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल हेतु नवीन भवन बनाये जाने,
(6) श्री कुँवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के –
(क) ग्राम कांकरिया से पड़ाना तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम देवलीमान खालसा में संचालित शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(7) श्री विजय सिंह, सदस्य, खरगोन जिले के केली-पनवाड़ा मार्ग को पुलिया सहित डामरीकृत किये जाने,
(8) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम गौसपुर मार्ग से हंसराज का पुरा तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने,
(9) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम टांई की कछियाना मुहल्ला एवं मशान बनना के पास पुलिया का निर्माण किये जाने,
(10) श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य, सतना जिले में ग्राम पोस्ट छिरहाई के हाई स्कूल का उन्नयन हायर सेकेण्ड्री स्कूल में किये जाने,
(11) श्री नारायण सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के शासकीय हाई स्कूल सेमलापार हेतु भवन की स्वीकृति किये जाने,
(12) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर-मालवा के ग्राम रावली से देवली तक सोयतकलां के रास्ते पर बने पुलिया का परीक्षण कराये जाने,
(13) श्री रमाकांत तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम बड़ागांव की पूर्व माध्यमिक विद्यालय शाला का उन्नयन हाई स्कूल में किये जाने,
(14) श्री रजनीश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम जामुनपानी में विद्युत पोल शीघ्र लगवाये जाने,
(15) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम हटा को जिला घोषित किये जाने,
(16) श्री पन्नालाल शाक्य, सदस्य, गुना जिले के ग्राम पिपरोंदकला में पुलिया निर्माण किये जाने,
(17) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले की नीमच सिटी में चिकित्सालय हेतु भवन बनवाये जाने,
(18) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम बेलखेड़ी की उमर नदी पर रपटा व ग्रामों के बीच पक्की सड़क निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 24 सन् 2016) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016 (क्रमांक 25 सन् 2016) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगी.

(3) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 26 सन् 2016) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगी.

13. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

निर्धारित समय
1 घण्टा 30 मि.

चंबल-ग्वालियर संभाग में नदियों से मिट्टी कटाव के कारण कृषि भूमि का रकबा घटने एवं गाँवों के अपने मूल स्थान से विस्थापित होने के संबंध में श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 5 दिसम्बर, 2016